नागरिक विविध

न्यायाधीश शमशेर बहादुर के सामने

राम रिख – याचिकाकर्ता

बनाम

हरियाणा राज्य और अन्य – उत्तरदाताओं

1967 की सिविल रिट संख्या 91

1 मार्च, 1968.

उत्तरी भारत नहर और जल निकासी अधिनियम (1873 का V III) - एस.एस. 30-बी और 30-एफ - योजना संभागीय नहर अधिकारी द्वारा अनुमोदित नहीं - अधीक्षण नहर अधिकारी द्वारा पुनरीक्षण की शक्ति - क्या मौजूद है।

निर्णय दिया गया कि अधीक्षण नहर अधिकारी का अधिकार क्षेत्र उस योजना को संशोधित करना है जिसे प्रभागीय नहर अधिकारी द्वारा अनुमोदित किया गया है। किसी योजना को पूरी तरह से अस्वीकार करने को ऐसी योजना नहीं कहा जा सकता है जिसे संभागीय नहर अधिकारी द्वारा अनुमोदित किया गया है और परिणामस्वरूप अधीक्षण नहर अधिकारी द्वारा हस्तक्षेप की शक्ति मौजूद नहीं है। उत्तरी भारत नहर और जल निकासी अधिनियम, 1873 की धारा 30-बी की उप-धारा (3), अधीक्षण नहर अधिकारी को एक योजना तैयार करने के लिए सशक्त या अधिकृत नहीं करती है, जब कोई भी योजना प्रभागीय नहर अधिकारी द्वारा अनुमोदित नहीं की गई हो। योजना को प्रभागीय नहर अधिकारी को जारी करना होगा, जिसे आपत्तियों को सुनने के बाद इसे प्रकाशित होने पर या ऐसे संशोधित रूप में अनुमोदित करना होगा जैसा वह उचित समझे। जब योजना स्वयं प्रमंडलीय नहर पदाधिकारी के पास नहीं जाती है और जो इसे अधीक्षण नहर पदाधिकारी के पास अनुमोदन के लिए प्रस्तुत नहीं करती है, तो मामला वहीं समाप्त हो जाता है। किसी अनुमोदित योजना में हस्तक्षेप की शक्ति का तात्पर्य उस योजना को नये सिरे से बनाने की शक्ति से नहीं है, जिसे मण्डल नहर अधिकारी द्वारा अनुमोदित नहीं किया गया हो। अधीक्षण नहर अधिकारी द्वारा हस्तक्षेप की शक्ति भी अधिनियम की धारा 30-एफ के प्रावधानों से वर्णित नहीं है।

राम रिख बनाम हरियाणा राज्य और अन्य (न्यायाधीश शमशेर बहादुर)

भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत याचिका, जिसमें प्रार्थना की गई है कि अधीक्षण नहर अधिकारी, प्रतिवादी संख्या 2, दिनांक 13 दिसंबर 1966 के आदेश को रद्द करने के लिए उत्प्रेषण परमादेश या किसी अन्य उचित रिट, आदेश या निर्देश की प्रकृति में एक रिट जारी की जाए ।

याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता बी.एस. चावला।

मुनीश्वर पुरी, महाधिवक्ता के वकील, आर.एस. चौधरी, वकील, प्रतिवादी संख्या 4 के लिए।

आदेश

न्यायाधीश शमशेर बहादुर - भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत इस याचिका में उत्तरी भारत नहर की धारा 30-बी की उप-धारा (3) के तहत शक्ति के कथित प्रयोग में अधीक्षण नहर अधिकारी (अनुलग्नक ए) द्वारा पारित आदेश को चुनौती दी गई है। और जल निकासी अधिनियम (इसके बाद इसे अधिनियम कहा जाएगा)।

याचिकाकर्ता रेन रिख ने उत्तरदाताओं 4 और 5, बीरबल और परभू के साथ सुखचैन डिस्ट्रीब्यूटरी से आउटलेट आरडी 19500 का उपयोग साझा किया। चौथा प्रतिवादी, जुरबल, जलमार्ग के संरेखण में कुछ बदलाव चाहता था और वर्ष 1966 में उस उद्देश्य के लिए प्रभागीय नहर अधिकारी के पास गया। अधिनियम की धारा 30-ए के प्रावधानों के अनुसार और सुनवाई के बाद एक योजना प्रकाशित की गई थी। दोनों पक्षों के संभागीय नहर अधिकारी ने बीरबल के इस अनुरोध को स्वीकार नहीं किया कि संरेखण याचिकाकर्ता और पांचवें प्रतिवादी के खेतों से होकर गुजरना चाहिए। हालाँकि, अधीक्षण नहर अधिकारी ने, अपनी पुनरीक्षण शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उन्हें संबंध प्रदान कर दिया! यानी उसने मांगा था. याचिकाकर्ता ने व्यथित महसूस करते हुए सर्टिफिकेटरी कार्यवाही में इस न्यायालय का रुख किया है।

अब, धारा 30-ए की उप-धारा (2) के तहत, उप-धारा (1) के तहत तैयार की जाने वाली प्रत्येक योजना में अनुमानित लागत, प्रस्तावित जलमार्ग के संरेखण और शेयर के विवरण जैसी विभिन्न आवश्यकताओं का उल्लेख करना होगा- लाभान्वित होने वाले धारक और इससे प्रभावित होने वाले अन्य व्यक्ति। धारा 30-बी की उपधारा (1) के तहत, इस प्रकार तैयार की गई योजना पर आपत्तियां दर्ज की जा सकती हैं और उपधारा (2) कहती है कि: -

"ऐसी आपत्तियों और सुझावों, यदि कोई हों, पर विचार करने के बाद, संभागीय नहर अधिकारी योजना को या तो मूल रूप से तैयार की गई थी या ऐसे संशोधित रूप में अनुमोदित करेगा जैसा वह उचित समझे।"

ऐसा प्रतीत होता है कि किसी भी योजना को संभागीय नहर अधिकारी द्वारा अनुमोदित नहीं किया गया है और न ही इसमें किसी संशोधन की आवश्यकता है। उप-धारा (2) के बाद महत्वपूर्ण उप-धारा [उप-धारा (3)] आती है, जो अधीक्षण नहर अधिकारी को स्वप्रेरणा से या "अनुमोदित योजना से" व्यथित किसी भी व्यक्ति के आवेदन पर अधिकार देती है। “प्रभागीय नहर अधिकारी द्वारा अनुमोदित योजना को संशोधित करने” का समय। स्पष्टतः अधीक्षण नहर अधिकारी का क्षेत्राधिकार उस योजना को संशोधित करना है जिसे प्रमंडलीय नहर अधिकारी द्वारा अनुमोदित किया गया है। किसी योजना को पूरी तरह से अस्वीकार करने को ऐसी योजना नहीं कहा जा सकता है जिसे संभागीय नहर अधिकारी द्वारा अनुमोदित किया गया है और परिणामस्वरूप अधीक्षण नहर अधिकारी द्वारा हस्तक्षेप की शक्ति मौजूद नहीं है। स्पष्ट रूप से, उपधारा अधीक्षण नहर अधिकारी को कोई योजना बनाने के लिए सशक्त

या अधिकृत नहीं करती है, जब किसी को भी प्रभागीय नहर अधिकारी द्वारा अनुमोदित नहीं किया गया हो। योजना को प्रभागीय नहर अधिकारी को जारी करना होगा, जिसे इसे प्रकाशित होने पर या ऐसे संशोधित रूप में अनुमोदित करना होगा, जिसे वह आपत्तियों को सुनने के बाद उचित समझे। जब योजना स्वयं प्रमंडलीय नहर पदाधिकारी के पास नहीं जाती है और जो इसे अधीक्षण नहर पदाधिकारी के पास अनुमोदन के लिए प्रस्तुत नहीं करती है, तो मामला वहीं समाप्त हो जाता है। राज्य के विद्वान वकील श्री पुरी का कहना है कि एक अनुमोदित योजना में हस्तक्षेप की शक्ति का तात्पर्य एक योजना को नए सिरे से बनाने की शक्ति से भी है, भले ही इसे प्रभागीय नहर अधिकारी द्वारा अनुमोदित नहीं किया गया हो। मुझे डर है, इस शक्ति का उप-धारा (3) से अनुमान या व्युत्पन्न नहीं किया जा सकता है, जो केवल प्रभागीय नहर अधिकारी द्वारा अनुमोदित योजना के अधीक्षण नहर अधिकारी द्वारा संशोधन का प्रावधान करता है।

न ही मैं श्री पुरी की इस दलील को स्वीकार कर सकता हूं कि अधीक्षण नहर अधिकारी द्वारा हस्तक्षेप की शक्ति को अधिनियम की धारा 30-एफ के प्रावधानों से अलग किया जा सकता है जो कहता है कि: -

"योजना के कार्यान्वयन पर, प्रभागीय नहर अधिकारी, लिखित रूप में मांग करके, शेयरधारकों को जलधारा को संभालने और बनाए रखने का निर्देश देगा और शेयरधारकों द्वारा इस निर्देश का पालन करने में विफल रहने पर, वह शेयरधारकों की लागत पर जलधारा के रखरखाव की व्यवस्था करेगा।"

यह धारा ऐसी स्थिति से संबंधित है जहां उप-धारा (3) के तहत अधीक्षण नहर अधिकारी द्वारा किए गए संशोधनों के अधीन प्रभागीय नहर अधिकारी की एक योजना को क्रियान्वित किया जाना है और जहां संबंधित शेयरधारक इसके प्रावधानों का अनुपालन से इनकार करते हैं।

मुझे डर है, अधीक्षण नहर अधिकारी ने ऐसा आदेश पारित कर दिया है जो ऐसा करना उनके अधिकार क्षेत्र से बाहर था और मैं तदनुसार उसे रद्द कर दूंगा। याचिका लागत सहित स्वीकार की जाएगी।

आर.एन.एम.

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वहअपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा।

अरुणिमा चौहान

प्रशिक्षु न्यशियक अधिकारी

(Trainee Judicial Officer)

पंचकुला, हरियाणा